SHAKUNTALAM INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION

KIRHINDIH, KUMHAU STATION ROAD, SHIVSAGAR

COURSE NAME – B.Ed. 2nd YEAR SESSION – 20–22

SUBJECT - C-10 (creating an Inclusive school)

TOPIC NAME – भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम 1992

DATE - 03.02.22

(13)

⇒ भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम 1992 :

[सामाजिक हृदिट से भटके हुए व्यक्तियो को पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही पुर्नवास कहलाता है।]

भारतीय पुर्नवास परिषद (RCI ACT-1992-2000) को एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था। सितम्बर 1992 को भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया तथा उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुर्नवास परिषद एक सम्विधिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आयी। इस अधिनियम को और अधिक व्यापक बनाने के लिए संसद द्वारा वर्ष 2000 में संशोधन किया गया।

⇒ भारतीय पुर्नवास परिषद के उद्देश्य :

RCI के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. दिव्यांग व्यक्तियो के लिए पुर्नवास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों तथा कार्यक्रमो को विनियमित (सुनिश्चित) करना।

2. दिव्यांग व्यक्तियो से संबंधित व्यवसायिक कर्मियो की विभिन्न श्रेणियो के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के निम्नतम मानक निर्धारित करना।

3. मान्यता प्राप्त पुर्नवास योग्यता रखने वाले व्यवसायिको, कर्मियो के केन्द्रिय पुर्नवास रजिस्टर का रख-रखाव करना।

4. देश तथा विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग द्वारा पुर्नवास तथा विशेष शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

5. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों का पंजीकरण करना।

⇒ भारतीय पुर्नवास परिषद् के कार्य :-

भारतीय पुर्नवास परिषद् के कार्य निम्नलिखित हैं—

1. उन व्यक्तियों को पुर्नवास व्यवसायिकों की श्रेणी में स्वीकार किया जायेगा जिनकी योग्यतायें RCI की नियमावली में आती है।

2. ऐसा व्यक्ति एक प्रोफेशनल के रूप में अपना पंजीकरण करा सकेगा जो सेवा भाव रखता हो।

3. जो संस्था पुर्नवास व्यवसायिकों की योग्यता सर्टिफिकेट देती है; उसे इसके लिए योग्यता का पूर्ण विवरण देना होगा।

4. RCI उन संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करेगी जहा इन पुर्नवास व्यवसायिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5. निरीक्षकों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी तथा उनकी रिपोर्ट गोपनीय होगी।

6. कोई भी व्यक्ति जो RCI में पंजीकृत नहीं है उसे देश में कहीं भी Practice करने की अनुमति नहीं होगी।

सर्व शिक्षा अभियान (S.S.A)

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2001-2002 में श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि में सही तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है —

1. वर्ष 2003 तक सभी सामान्य एवं वाधित बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारन्टी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल तथा 'Back to school civil' की उपलब्धता।
2. वर्ष 2007 तक सभी सामान्य एवं वाधित बच्चों को 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
3. वर्ष 2010 तक सभी सामान्य एवं वाधित बच्चों को 8 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा पूरी करना।

4. वर्ष 2010 तक सभी पढ़ने योग्य बच्चों को विद्यालय पहुंचाना।

5. सामाजिक न्याय एवं समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना।

6. जीवन उपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान करना।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान तथा समावेशी शिक्षा दोनों ही एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करती है। इस संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख योगदान निम्न है —

- नीति संबंधी समर्थन प्रदान करना :

सर्व शिक्षा अभियान किसी भी स्तर पर किसी भी बच्चे का विद्यालय में प्रवेश से मना करने के विरुद्ध zero Reaction Policy का समर्थन करता है। S.S.A का मानना है कि विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ उपेक्षित बालक सही से समाजीकरण कर सकता है। यह विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को औपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ सकता है। इसके अतिरिक्त S.S.A कुछ अन्य विकल्प जैसे — शिक्षा गारंटी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा प्रावधान, पर आधारित शिक्षा का भी सुझाव देते है। S.S.A का मानना है कि कुछ दिव्यांग बच्चों को विद्यालय परिवेश के लिए आवश्यक संसाधन एवं समर्थन उपलब्ध करवाया जाए। तथा उन बालकों को जो नियमित विद्यालय जाने के लिए तैयार नहीं है उनके लिए पहले वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

• सक्रिय समर्थन प्रदान करना :-

समावेशी शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए S.S.A को राष्ट्रीय बजट में काफी धनराशि आवंटित की गई।

S.S.A को प्राप्त इस बजट का कि निम्न कार्यों में प्रयोग होता है _

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करना।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का कार्यात्मक तथा औपचारिक आकलन करना।
3. उनकी क्षमता अनुसार उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था करना।
4. व्यक्तिकरण के आधार पर शैक्षिक योजना का प्रारूप तैयार करना।
5. दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान करना।
6. समावेशी शिक्षा की योजना बनाना एवं प्रबंधन करना।
7. समावेशित शिक्षा पर नियंत्रण एवं मूल्यांकन करना।
8. पाठ्यपुस्तक सामग्री को इन बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त बनाना।